<u>अतिआवश्यक/विधानसभा</u>

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

कमांक : – योजना/15वीं विधानसभा/पंचमसत्र/2020/ 1678 दिनांक: 6/8/2020

1 समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन –
2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय : – 15 वीं विधानसभा का पंचम सत्र शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त 2020 से प्रारम्भ होने बाबत्।

15 वीं विधानसभा का पंचम सत्र शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त 2020 से प्रारम्भ होने जा रहा है। इस संबंध में लेख है कि:–

1. विधानसभा सत्र के दौरान पडने वाले अवकाश के दिनों में आपके कार्यालय को खुला रखे। विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश अति आवश्यक होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के उपरान्त ही दिया जायें। इसके अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश देय नही होगा।
2. आपके जिले का विधानसभा प्रकोष्ठ गठित करें जो 24 घंटे कार्यशील रहे। इसके प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, मोबाईल नम्बर तथा प्रकोष्ठ का ऑफिस नम्बर आवश्यक रूप से उप निदेशक (विधानसभा) निदेशालय, जयपुर को उनके ई–मेल jdplan09@gmail.com /डाक द्वारा सूचित करें।
3. विधानसभा सत्र के दौरान पर्ची, स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण एवं प्रश्नों इत्यादि के उत्तर त्वरित गति से निर्धारित समयावधि में राज्य सरकार को भेजा जाना आवश्यक होता है। वर्तमान में विधानसभा में विभाग का प्रश्न तथा पर्ची, स्थगन एवं ध्यानाकर्षण किसी भी दिन आ सकते है। उपरोक्त से संबंधित समस्त सूचना अनिवार्यत निश्चित समयावधि में उसी दिन शुन्यकाल दोपहर 12:00 से 1:00 बजे के दौरान माननीय मंत्री महोदय को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है। अतः आपका दायित्व हो जाता है कि पर्ची, स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की सूचना मांगने पर सही एवं पूर्ण तुरन्त उपलब्ध करवायें। सूचीबद्ध प्रश्नों का सही एवं पूर्ण उत्तर मय पूरक सामग्री के प्रश्न के संबंध में प्रेषित समयावधि में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
4. विधानसभा प्रश्नों का उत्तर भिजवाने से पूर्व प्रश्न का पूर्ण अध्ययन कर एक तरफ प्रश्न एवं उसके सामने ही उत्तर ड्रीम्स सॉफ्टवेयर द्वारा भेजें। **<u>प्रश्न की भाषा में अपने स्तर पर कोई भी बदलाव ना करें।</u>** आप द्वारा जो भी तारांकित प्रश्न का प्रत्युत्तर भेजा जाये तो उसके साथ प्रश्न से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी पूरक सामग्री के साथ भिजवायें। उदाहरणार्थ आपसे किसी चिकित्सालय के रिक्त पदों के बारे में पूछा जावें तो प्रश्न के उत्तर में उक्त चिकित्सा संस्थान के
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु ड्रीम सॉफ्टवेयर का कियान्वयन विधानसभा के अष्ठम सत्र से प्रारम्भ कर दिया गया है। ड्रीम्स की ट्रेनिंग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में समस्त संबंधित को दी जा चुकी है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये की 15 वीं विधानसभा के पंचम सत्र में प्रश्नों के उत्तर ड्रीम्स सॉफ्टवेयर पर आवश्यक रूप से दिया जायें।

6. संवर्गो के स्वीकृत/कार्यरत पदों की संख्या, यदि रिक्त है तो कब से, कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की नामवार सूची तथा चिकित्सालय की पूर्ण स्थिति से अवगत कराये।
7. विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की (11.08.2020 तक) बिन्दुवार सूचना (31.03.20 की स्थिति में) भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:–

- जिले में कोई ऐसे मुद्दे जिनके बारे में विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं प्रश्न उठाये जाने की संभावना हो तो उनके बारे में संक्षिप्त विवरण टिप्पणी सहित भिजवायें।
- आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना मय रिक्ती दिनांक एवं कारण के विधानसभा क्षेत्रवार तथा संस्थावार अविलम्ब भिजवाये।
- चिकित्सालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं जैसे–एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन, ई.सी.जी., ऑपरेशन थियेरटर/लैबोरेटरी आदि की सूचना तथा गत तीन वर्षो में किये गये कार्यो एवं उपलब्ध सुविधाओं का विवरण तथा अगर कोई उपकरण खराब हो तो कब से एवं ठीक कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई अंकित करें। रोगी वाहन की सूचना भी संलग्न करें।
- भवन व्यवस्था (राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं क्वार्टर) का पूर्ण विवरण भिजवायें तथा राजकीय/दानदाता अथवा किराये के भवन एवं आवास गृह आदि की सूचना, भवन पूर्ण/अपूर्ण व मरम्मत की सूचना।
- चिकित्सालय के गत तीन वर्षो के आउटडोर/इन्डोर/बैड ऑक्यूपेन्सी/ऑपरेशन (मेजर/माईनर) प्रसव आदि का विवरण देवे।
- एमएनडीवाई के तहत् निःशुल्क उपलब्ध कराई गई औषधियों का विवरण एवं किये गये व्यय का विवरण तथा एमएनजेवाई के तहत् लाभान्वित मरीजों एवं जाचों की संख्या व किये गये व्यय का विवरण।
- संस्थावार वाहनों की उपलब्धता, वाहन चालकों की उपलब्धता एवं वाहन यदि खराब है तो ठीक करवाने के लिए अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई का पूर्ण विवरण।
- जिले में हुई बीमारियों के प्रकोप उनके नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं बीमारियों के प्रकोप से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं मृत्यु का विवरण।

8. यदि किसी प्रश्न का उत्तर पत्र वाहक के साथ भेजा जाता है तो सम्बन्धित प्रश्न की पूर्ण जानकारी रखने वाले कर्मचारी के साथ ही भेजा जावें ना कि चतुर्थ श्रेणी या अन्य के साथ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्तर पर विधानसभा/संसदीय कार्य से सम्बन्धित कार्य के लिए नोडल अधिकारी होंगे वह जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों/कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर उन्हें इकजाई कर संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं का उल्लेख करते हुये एवं जिले से सम्बन्धित प्रश्नों/प्रस्तावों से सम्बन्धित सूचनाएं भिजवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

निदेशालय में उप निदेशक (विधानसभा) को विधानसभा से सम्बन्धित सूचना हेतु उनके कार्यालय दूरभाष संख्या 2223179 पर सम्पर्क करें एवं सूचना चाही गई है तो फैक्स संख्या 0141–2223179 एवं 2229858, ईमेल आईडी jdplan09@gmail.com पर सूचना दी जा सकती है। विधानसभा से सम्बन्धित पत्राचार उप निदेशक (विधानसभा) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के नाम से किया जावे।

आपके जिले एवं चिकित्सालय से संबन्धित सूचनाएं उप निदेशक (विधानसभा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को उपरोक्त ई–मेल द्वारा दिनांक 11.08.2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसे अतिआवश्यक समझे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : – योजना / 15वीं विधानसभा / पंचम सत्र / 2020 / 1678 दिनांकः 6/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आयुर्वेद एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आयुर्वेद एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, (एनएचएम) मुख्यालय।
5. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम मुख्यालय।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय।
7. निदेशक (आर.सी.एच. / एड्स / आई.ई.सी) मुख्यालय / निदेशक (एमएसयू) राजस्थान जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित / प्रशासन / आर.सी.एच. / चिकित्सा प्रशासन / ग्रा0स्वा0) मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र सभी संयुक्त निदेशक (जोन), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को उनके E-mail ID पर मेल कराने का श्रम करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर।